न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 3797–तीन/13 विरूध्द आदेश दिनांक 01–10–2013 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 968/अ–6/2011–12 अपील.

विश्वनाथ पुत्र रामचरण रावत (मृत)
वारिसान–
1– गायत्री देवी बेवा विश्वनाथ
2– राजेशकुमार पुत्र विश्वनाथ
3– दिलीपकुमार पुत्र विश्वनाथ
4– अशोक पुत्र विश्वनाथ
5– रानी पुत्री विश्वनाथ
समस्त निवासी ग्राम बमनौरा, तह0 मालथीन,
जिला सागर, म0प्र0

—— अपीलार्थीगण

विरूध्द

श्रीमती सुमनबाई पुत्री स्व. श्रीराम रावत
निवासी ग्राम बमनौरा, तह0 मालथीन,
जिला सागर, म0प्र0

—— उत्तरवादी

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक – अपीलार्थीगण
श्री दिलीप पासी, अभिभाषक– उत्तरवादी

आदेश

(आज दिनांक 2014 को पारित)

यह अपील का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अन्तर्गत अपर

3/ तहसीलदार के समक्ष राजस्व निरीक्षक, मालथीन ने पटवारी हल्का के साथ मौका निरीक्षण करन क पश्चात प्रतिवेदन, प्रस्तावित नक्शा, री–नंबरिंग पर्चा एव पंचनामा प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने उभय पक्ष को सुनने के पश्चात प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 15–06–2012 में तहसीलदार व्दारा अभिलेख में बन्दोवस्त के दौरान हुई त्रुटि का तुलनात्मक प्रतिवेदन दर्शित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि बन्दोवस्त के दौरान अपीलार्थी की भूमि के रकबे में 0.85 हे. की कमी हुई है एवं उत्तरवादी की भूमि के रकबे में 1.10 हे0 की बढोत्तरी हुई है तथा नक्शा भी त्रुटिपूर्ण बनाया गया है। अतः अपर कलेक्टर व्दारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अपीलार्थी की भूमि के अभिलेख नक्शा सुधार के आदेश संहिता की धारा 107 के तहत दिये तथा प्रकरण तहसीलदार की ओर अभिलेख दुरूस्त करने के उपरान्त वापस किये जाने के निर्देश दिये। इस आदेश के विरूध्द उत्तरवादी व्दारा प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 01–10–13 व्दारा स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया है। अतः अपीलार्थी ने यह व्दितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

4/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट लेख किया है कि उत्तरवादी को पुराना ख0नं0 248, 249 रकबा 1.845 हे0 दर्ज था। उक्त दोनों सर्वे नं0 से नया न0 342 रकबा 2.07 हे0 दर्ज हुआ। उनका तर्क है कि उत्तरवादी का रकबा बन्दोवस्त दौरान बढ़ गया है। अपर कलेक्टर ने बन्दोवस्त के दौरान हुई भूल सुधार को सही करने के निर्देश तहसीलदार को दिये। अपर कलेक्टर के

नजूल अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले समस्त डिप्टी कलेक्टरों को प्रदत्त की गयी है और उत्तरवादी व्दारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की गयी। इस आपत्ति के अलावा और कौन–सी आपत्ति थी जिसका निराकरण विचारण एवं अपर कलेक्टर व्दारा नहीं किया गया, इसका काई उल्लेख उत्तरवादी ने लिखित बहस में नहीं किया गया। इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दू यह था कि क्या बन्दोवस्त के दौरान अपीलार्थी की भूमि के रकबे में कमी आयी है ? बन्दोवस्त के पूर्व अभिलेख एवं नये अभिलेख का तुलनात्मक प्रतिवेदन तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर ने अपने प्रतिवेदन एवं आदेश में अंकित किया है जिसके अनुसार पुराना खसरा नं0 222, 247 तथा 250 का कुल रकबा 4.136 हे0 था जिसका बन्दोवस्त के दौरान नया नम्बर 339 रकबा 3.28 दर्ज हुआ अर्थात रकबे में 0.85 का कमी हुई। पुराना खसरा नं0 248 एव 249 का कुल रकबा 1.845 था जो नया नम्बर 329 एवं 342 कुल रकबा 2.95 दर्ज हुआ अर्थात 1.10 हे. की रकबे में बढ़ोतरी हुई। अपर आयुक्त ने उत्तरवादी के सभी खसरे नम्बरों के रकबे को जोड़कर उत्तरवादी के रकबे में कमी होना तथा नया नम्बर 329 की रीनबंरिग गलत होना अंकित किया है। अपर आयुक्त ने बन्दोवस्त के दौरान रकबे मे त्रुटि हुई या नहीं, इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया और ना ही प्रकरण में प्रस्तुत तुलनात्मक प्रतिवेदन किस प्रकार त्रुटिपूर्ण हैं, इस संबंध में निष्कर्ष निकाला गया है। अपीलार्थी एव उत्तरवादी को विभाजन में कितनी भूमि प्राप्त हुई और उनका कितनी भूमि पर नाम दर्ज है, यह प्रश्न इस प्रकरण में निहित नहीं था, इस कारण उत्तरवादी के सभी खसरा नम्बरों के रकबे को जोड़कर अपर आयुक्त व्दारा यह निष्कर्ष निकालना कि उत्तरवादी के रकबे में कमी हुई है, सही नहीं है।

7/ विचारण तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी विश्वनाथ व्दारा संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत रकबे में बन्दोवस्त के दौरान कमी होने से आवेदनपत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया था, किन्तु